संख्या- 49-3099/164/2022-सहकारिता अनुभाग-3
(I/1047200/2025)

प्रेषक,

सौरभ बाबू,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के गोदामों का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत सम्बन्धी दिशा- निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 173/ग्रा.गो./भ.यो./फा.-03/2025-26, दिनांक 29.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भण्डारण योजना के अंतर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों(बी.पैक्स) के गोदामों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (बी0पैक्स) के गोदामों का सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :-

(1) प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों(बी०पैक्स) के गोदामों का सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य सीधे बी-पैक्स को आवंटित किया जायेगा।

(2) बी-पैक्स की सूची प्रदेश के समस्त जनपदीय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता से प्राप्त कर उसका मूल्यांकन व आंगणन लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभियंत्रण सेवा विभाग/यू0पी0आर0एन0एस0एस0 तथा यू0पी0सी0एल0डी0एफ0 के अधिशाषी अभियंताओं से कराया जायेगा।

(3) समिति के गोदामों की मरम्मत एवं सुदृढीकरण हेतु भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (बी-पैक्स) के गोदामों का मरम्मत / सुदृढ़ीकरण कराने हेतु योजना के सफल क्रियान्वयन समीक्षा अनुश्रवण, निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति एवं अपेक्षति गुणवत्ता का सत्यापन, निरीक्षण, गोदामों के चयन पर अनुमोदन एवं शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार धनराशि का आवंटन/ व्यय आदि कराने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधि कारी की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय जनपद स्तरीय कमेटी का गठन किये जाने का प्राविधान किया जाता है , जो निम्नवत् हैं :

i) मुख्य विकास अधिकारी -- अध्यक्ष
ii) सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक -- सदस्य
iii) महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 -- सदस्य
iv) अपर जिला सहकारी अधिकारी (गोदाम) -- सदस्य/संयोजक
v) जिलाधिकारी द्वारा नामित लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का अधिशाषी अभियंता- सदस्य

(4) उक्त कमेटी द्वारा तैयार कराये गये स्टीमेट का अनुमोदन एवं योजना से सम्बन्धित कार्यो का सफल क्रियान्वयन, समयसीमा तथा गुणवत्ता का प्रमाणीकरण एवं शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुसार क्रियान्वयन समिति से कार्य पूर्ण कराये जाने एवं बी-पैक्स के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य की गुणवत्ता का तृतीय पक्ष मूल्यांकन जनपद / मण्डल स्तर पर गठित टी0ए0सी0 के माध्यम से कराने तथा उसकी रिर्पोट शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) भण्डारण योजनान्तर्गत बी0पैक्स के गोदामों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराने हेतु स्टीमेट तैयार कराने तथा कार्य के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर योजना क्रियान्वयन समिति का गठन किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत बी0पैक्स के गोदामों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण हेतु योजना से सम्बन्धित कार्यो का सफल क्रियान्वयन समय सीमा तथा गुणवत्ता का प्रमाणीकरण एवं कार्य पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व भी कमेटी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) जनपदीय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक -- अध्यक्ष
(2) सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी डी0सी0बी0 -- सदस्य
(3) संबंधित तहसील के अपर जिला सहकारी अधिकारी -- सदस्य/संयोजक
(4) जिलाधिकारी द्वारा नामित यू0पी0सी0एल0डी0एफ0 अथवा यू0पी0आर0एन0एस0एस0 के जनपद स्तर पर तैनात सहायक/अवर अभियन्ता -- सदस्य
(5) जनपदीय लेखाकार -- सदस्य
(6) सम्बन्धित बी0पैक्स के सचिव -- सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इस समिति द्वारा बी0पैक्स का चिन्हांकन, प्राक्कलन तैयार करना एवं योजना के पूर्ण कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। चिन्हित किये गये बी0पैक्स का परीक्षण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित जेई/ऐई, आर0ई0एस0/पी0डब्लू0डी / डी0आर0डी0ए0 द्वारा किया जायेगा। यह भी समीचीन होगा कि परीक्षण हेतु नामित जेई/ऐई, आर0ई0एस0/पी0डब्लू0डी / डी0आर0डी0ए0 ही मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी में सदस्य होगें। अनुमोदन के उपरान्त प्राक्कलन/स्टीमेट योजना क्रियान्वयन समिति के पास भेज दिया जायेगा।

योजना क्रियान्वयन समिति अनुमोदित स्टीमेट का एक प्रति अपने पास, एक प्रति मुख्यालय एवं एक प्रति सम्बन्धित बी0पैक्स को उपलब्ध करायेगी।

योजना क्रियान्वयन समिति द्वारा कार्य प्रारम्भ होने, कार्य के मध्य एवं कार्य के समाप्त होने का स्पष्ट फोटोग्राफ के साथ समस्त अभिलेखों का रख-रखाव जनपद स्तर पर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक द्वारा संरक्षित किया जायेगा, कराये जा रहे कार्यो का जियो टैगिंग भी कराया जायेगा। फोटोग्राफ लेने का दिनांक भी अंकित किया जायेगा |

(6) क्रियान्वयन समिति द्वारा भण्डारण योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में विचलन/शासनादेशों में विहित व्यवस्था के अनुसार न होने की स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कराया जायेगा।

(7)- जनपद के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनपद में चिन्हित बी0पैक्स के गोदाम मरम्मत/ सुदृढ़ीकरण का कार्य यदि स्वयं के संसाधनों अथवा अन्य किसी योजना के अंतर्गत करा लिया गया है तो उस बी0पैक्स के स्थान पर ऐसी बी0पैक्स का चयन किया जाय, जहॉ पर कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य हो, किसी भी दशा में कार्य की पुनरावृत्ति न हो ।

(8) भण्डारण योजनान्तर्गत शासन से प्राप्त धनराशि के हस्तान्तरण हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला सहकारी बैंक अथवा उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक में खाता खोला जायेगा। इस कार्य हेतु उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 को नोडल नामित कर दिया जाय। नोडल एजेन्सी का यह उत्तरदायित्व होगा कि मरम्मत/ सुदृढ़ीकरण हेतु शासन से प्राप्त धनराशि का सम्बन्धित जनपदों के डी0सी0बी0 में हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।

(9) शासन से प्राप्त धनराशि स्वीकृत होने के उपरोन्त गोदाम अनुभाग (मुख्यालय लखनऊ) को अधोलिखित विवरण के अनुसार भण्डारण योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि के हस्तान्तरण हेतु बैंक खाते का विवरण सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

खाताधारक का नाम	बैंक का पूरा नाम/पता शाखा	खाता संख्या	शाखा कोड	आई0एफ0एस0सी0 कोड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	सहित			
1	2	3	4	5

(10) उक्त खाते से आवश्यकतानुसार वांछित धनराशि के आहरण करने हेतु सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता से अनुमति उपरान्त संचालन, सम्बन्धित बी0पैक्स के सचिव व सम्बन्धित तहसील के अपर जिला सहकारी अधिकारी/तहसील प्रभारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(11) जनपद स्तर पर कार्यरत लेखाकार द्वारा समिति सचिव/सम्बन्धित अपर जिला सहकारी अधिकारी से मॉग पत्र (जिसमें उपलब्ध करायी गयी धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय के उपरान्त) प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम किश्त की धनराशि की अनुमति पत्र जारी किया जायेगा तथा कार्यालय स्तर पर एक रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसका प्रारूप निम्नवत है :-

क्र0सं0	बी0पैक्स का नाम	विकास खण्ड	सचिव का नाम	धनराशि आहरण हेतु प्राप्त मॉग पत्र का दिनांक	कार्यालय द्वारा निर्गत अनुमति पत्र संख्या व दिनांक	हस्ताक्षर लेखाकार	हस्ताक्षर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक
1	2	3	4	5	6	7	8

(12) भण्डारण योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता की अध्यक्षता में गठित क्रियान्वयन कमेटी के हस्ताक्षर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) भण्डारण योजनान्तर्गत कार्यो का पर्यवेक्षण/परीक्षण हेतु मण्डल स्तर पर निम्नवत् कमेटी का गठन किया जायेगा :-

1) मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबंधक -- अध्यक्ष

2) मण्डलीय कार्यालय के लेखाकार --सदस्य/संयोजक

3) मण्डलीय जनपद के यू0पी0सी0एल0डी0एफ0/यू0पी0आर0एन0एस0एस0 - सदस्य/अधिशासी अभियंता

(14) योजना के अंतर्गत पैक्स का चयन इस प्रकार से किया जायेगा कि अधिकतम जनपदों के अधिकतम विकास खण्डों की अधिकतम क्रिया शील प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण व मरम्मत किया जा सके ,जिससे कृषक ज्यादा संख्या में कृषि निवेश तथा अन्य सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकें |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(15) प्रश्नगत योजना में चयनित समिति के पूर्णरूप से सुदृढ़ीकरण / मरम्मत हेतु व्यय सम्बन्धी आगणन रूपये 10.00 लाख की अधिकतम सीमा तक की जाये, जिसमें सभी अनुषांगिक व्यय सम्मिलित होगें।

(16) प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण होने पर समस्त पैक्स समिति पर एक ही तरह के साइनबोर्ड लगाया जाए |साइन बोर्ड इस तरह का डिजाईन किया जाये ताकि आमजन को यह आभाष हो कि यह सहकारिता विभाग की समिति है ,जो सामान्य कृषकों के हितो के लिए कार्य कर रही है |

(17) उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर समय सीमा निर्धारित किये जाने का उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निबंधक ,सहकारिता ,उ०प्र० लखनऊ का होगा ,जिससे योजना का सफल क्रियान्वयन हो सके तथा प्राविधानित धनराशि को समर्पित न करना पड़े |

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सौरभ बाबू
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- (1)/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग,उ0प्र0 शासन।
2) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा आयुक्त एव निबंधक सहकारिता उ०प्र०)
3) समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा आयुक्त एव निबंधक सहकारिता उ०प्र०)
4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
5) प्रबंध निदेशक ,उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०लखनऊ।
6)प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
7) समस्त मंडलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबंधक,सहकारिता ,उ०प्र० (द्वारा आयुक्त एव निबंधक सहकारिता उ०प्र०)
8) समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 (द्वारा आयुक्त एव निबंधक सहकारिता उ०प्र०)
9) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
10) समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी ,जिला सहकारी बैंक ,उ०प्र० (द्वारा आयुक्त एव निबंधक सहकारिता उ०प्र०)
11)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in